न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. हरिराम पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी बैजूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. रामविलास पुत्र ब्रहमानन्द
2. बनवारी लाल पुत्र ब्रहमानन्द
3. ओमप्रकाश पुत्र ब्रहमानन्द

जाति महाजन निवासी बैजूपाडा तहसील बसवा

4. श्रीकिशन पुत्र ख्यालीराम
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीकिशन
6. सियाराम पुत्र ख्यालीराम
7. हरमुख पुत्र रामरतन
8. चरण पुत्र रामरतन
9. भारमल पुत्र श्रीकिशन
10. मोहरसिंह पुत्र श्रीचन्दा
11. धर्मसिंह पुत्र श्रीकिान

जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

12. तहसीलदार जरिये भूमिधारी तहसील बसवा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल मुकदमा उनवानी हरिराम बनाम रामविलास आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 2/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उपस्थितिः— 1. श्री छोटेलाल सैनी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सम्पतराम जांगिड अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 लगा. 11 उपस्थित।

—:आदेशः—

दिनांक 08.03.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में दावा अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.01.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई और प्रथम पेशी दिनांक 26.02.2018 मुकरर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

विपक्षीगण को जरिये नोटिस दिनांक 26.02.2018 को उपस्थित होने बाबत जारी किये और अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना तामील व बिना सूचना के उपस्थित हो गये और पीठासीन अधिकारी से साच करके प्रार्थी के मुकदमें में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। जिस पर न्यायालय ने बिना प्रार्थी को सुने ही और बिना तलब किये ही नजदीक तारीख पेशी लगा दी। इस कारण से प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही है। इस लिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी तलब की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मु.न. 02/2018 हरिराम बनाम रामबिलास में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी 50 वर्षो से काबिज है। जिसमें पूर्व निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 26.02.2018 से पूर्व ही पत्रावली सुनवाई कर बहस हेतु दिनांक 08.03.2018 को मुकरर कर दी गई। किसी भी पक्षकार द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को बिना सुने ही, बिना तलब किये ही नजदीक तारीख पेशी लगा दी। विपक्षीगण 4 लगा. 11 एवं उपखण्ड अधिकारी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया की अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है और विरासत का नामान्तरकरण खुलवाया जाना है। शीघ्र सुनवाई बाबत नियमानुसार प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी कर तारीख पेशी मुकरर की गई है। इसमें कोई अनियमितता नही है। सदभावी क्रेता होकर वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त हूं। प्रार्थी को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया है। प्रार्थी का कभी किसी प्रकार से

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उक्त आराजीयात से सम्बन्ध नही रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने एवं प्रकरण देरीना करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। टिप्पणी अनुसार वादी को दिनांक 25.01.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिनांक 26.02.2018 नियत की गई थी, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.01.2018 को उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर वकील प्रार्थी को सुचित कर जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति दी जाकर दावा/प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत होने पर कानूनन दावा को तनकीयात एंव प्रार्थना पत्र की बहस की स्टेज पर लगाया गया था। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने के पश्चात उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई उचित कारण नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन मु.न. 02/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हरिराम बनाम रामबिलास को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा